न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ जिला–बांसवाडा(राज.)

पीठासीन अधिकारी दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 44/2017

कल्याणसिह पिता श्री खातु उम्र वयस्क जाति भील निवासी माचा तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा

.....वादी

बनाम

कालिया पिता भाउ उम्र वयस्क जाति भील निवासी दुरजनियां तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.) फोत अर्सी तीन वर्ष के वारिशानः–

1. पेमली पिता कालियां पत्नी कलजी उम्र वयस्क जाति भील निवासी दुरजनियां तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
2. सरमु पिता कालियां पत्नी राजहिंग उम्र वयस्क जाति भील निवासी दुरजनियां तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)
3. तहसीलदार साहब सज्जनगढ तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)

.....प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक-23/7/2019

अन्तर्गत धारा 92ए,88,209 राजस्थान.काश्तकारी अधिनियम.

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

1. यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी से दिनांक 10.06.1996 को एक इकरारनामा बेचान पत्र तहरीर कर ग्राम दुरजनियां की कृर्षि भूमि आराजी न.25 रकबा 2.86 एकड,आराजी न.26 रकबा 0.22 एकड,आराजी न. 27 रकबा 0.12 आराजी नं. 28 रकबा 0.30 आराजी न. 31 रकबा 0.01 कुल किता 5 रकबा 3.51 एकड किमत रूपया 12225/रू में क्रय की गयी थी किन्तु उसकी रजिस्ट्री समय पर नही हो पायी तथा वादी ने दिनांक 10.06.1996 से कब्जा प्राप्त कर उपरोक्त वर्णित भूमि कुआ व मकान बना लिये है बगीचा बनाया हुआ तथा कब्जा वादी का बना हुआ है कई बार प्रतिवादी को विधिवत रजिस्ट्री कराने को कहा गया किन्तु वादी द्वारा कृर्षि को विकसित देखकर प्रतिवादी के मन मे लालच जागने के कारण उसने रजिस्ट्री कराने में आना कानी करने लगा तब वादी को मजबूर होकर 2000 में प्रतिवादी के खिलाफ राजस्व वाद प्रस्तुत करना पडा जिसकी सं. 28/ 2000 होकर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण वादी के पक्ष में निर्णित किया जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ न्याय आपके द्वार केम्प अन्देश्वर दिनांक 23.06.2016 को अपने निर्णय प्रथम ओर्ब्जवेसन के आधार पर वादी को यह निर्देश दिया गया की या तो इकरारनामें को डयूटी स्टाम्प करावे या प्रतिवादी के वारिसान से अपने हक मे रजिस्ट्री करावें ।

2. प्रकरण चलते –चलते 15 वर्ष के ज्यादा की अवधि हो चुकी है जो पर्याप्त से भी ज्यादा अवधि है। माननीय न्यायालय ने डिक्री जारी कर मौजा दूरजनियां की आराजी नं. 25,26,27,28,13 कुल खेत 5 लिए प्रतिवादी के विक्ष स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के कब्जे काश्त के उपरोक्त खसरा नं. मे किसी प्रकार हस्तक्षेप नही करें एवं नही किसी अन्य से करावे प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है ।
3. यह कि वादी द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देश अनुसार बेचान पत्र इकरारनामे को डयूटी स्टाम्प कराने उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक वृत बांसवाडा में आवेदन करने पर उनके द्वारा प्रकरण सं. 2/17 दिनांक 01.02.2017 दर्ज कर नियमानुसार इकरारनामा को स्टाम्प डयूटी रूपया 12840 /रू जमा कोष कराने के निर्देश दिये, जिस पर वादी ने चालान सं. 0014761880 दिनांक 18.01. 2017 से जमा करा दिये जिस पर उपमहानिरीक्षक महोदय ने दस्तावेज पर पूर्ण मुद्राकंन का प्रमाण – पत्र अंकित किया जा कर मुल दस्तावेज वादी को लोटाए है जो संलग्न है ।
4. यह कि वादी उपरोक्त वर्णित भूमि पर 1996 से काबिज होकर काश्त करता है वादी का मौके पर कब्जा है इस बाबत श्री झिथा पिता मोती जाति भील निवासी दुरजनियां द्वारा माननीय न्यायालय ए. सी.जे.एम कोर्ट कुशलगढ में एक इस्तगासा दिनांक 02.07.2003 को पेश किया जिस पर प्रकरण सं. 1985/2003 धारा 447,436,427,34 आईपीसी. में पंजीबद्व कर थानाधिकारी कुशलगढ ने मौके की जांच रिपोर्ट तैयार की है जिसमें थानाधिकारी ने उपरोक्त वर्णित भूमि पर वादी का कब्जा होने का मेड बन्दी कुआ व बगीचा लगाकर आबाद करना व वर्तमान में कल्याणसिंह के कब्जे काश्त में होना अंकित किया है । प्रतिलिपी संलग्न है । माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने वाद सं. 28/2000 निर्णय दिनांक 23.06.2016 में स्पष्ट रूप सें प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञाया जारी कर वादी के कब्जे काश्त की भूमि आराजी नं. 25,26,27,28,31 रकबा 3.51 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करने पाबन्द किया है । वादी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ के निर्णय दिनांक 23.06.2016 के निर्णय की पालना में इकरारनामा को डयूटी स्टाम्प करा लिया है । अतः ऐसी अवस्था में वादी को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है ।
5. यह कि उपरोक्त वर्णित कृर्षि भूमि में राजस्व वाद प्रकरण सं. 28/2000 का निर्णय दिनांक 23.06. 2016 की पालना में माननीय उप महानिरीक्षक के प्रकरण सं. 2/2017 एवं आवेदन पत्र दिनांक 26. 05.2017 न्याय आपके द्वार अन्देश्वर तथा प्रार्थना –पत्र दिनांक 05.09.2017 पर माननीय न्यायालय के निर्देश पर राजस्व वाद श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार में होने से अन्दर म्याद प्रस्तुत है ।

अतः– निवेदन है कि बाद कार्यवाही जाप्ता बाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री सादीर कराना फरमावे ।

- यह कि वादी को उक्त खतौनी क्रमांक खाता नं. 19 नई , 3 पुरानी रकबा 3.51 एकड का वादी को खातेदार घोषित करने का आदेश एवं डिक्री फरमावें ।
- यह कि प्रतिवादी सं. 3 को राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार सुधार व इन्द्राज का आदेश प्रदान करना फरमावें ।
- यह कि प्रतिवादी सं. 1 से 2 के विरूद्व इस आशय का स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना फरमावें कि वादी की सहमति के बिना उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तानान्तरित नहीं करे ।

➢ यह कि वादी के वाद व्यय को अभिभाषक शुल्क दिलाना फरमावें । अन्य न्यायोचित दादरसी भी दिलाना फरमावें ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण जरियें अधिवक्ता उपस्थित आये और निम्न प्रकार जवाब पेश किये ।

1. यह कि वादी की और से प्रस्तुत वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित समस्त तथ्य असत्य होने अस्वीकार है उतर ये है कि ग्राम दुरजनियां प.म. अन्देश्वर तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा में स्थित कृर्षि भूमि खसरा नं. 25,26,27,28,31, कुल किता 5 रकबा 3.51 एकड को प्रतिवादीगण के पिता ने वादी को कभी बेचान नही कियां है न ही रजिस्ट्री कराई है, किन्तु उनके स्वर्गवास के बाद हम प्रतिवादी सं. 1 खुन्दनी हाला व 2 टिमेडा बडा में शादीयां होने से वही रहती है , किन्तु मौके पर खेती हम प्रतिवादी द्वारा की जाती है तथा हमारा कब्जा है ।
2. यह कि वाद चरण सं.2,3व 4 भी हमें स्वीकार नही है , वादी द्वारा उपमहानिरीक्षक पंजीयन बांसवाडा मे कोई कार्यवाही की हो उसकी हमे जानकारी नही है तथा हमारे पिता द्वारा स्टाम्प लिखा गया हो इसकी भी जानकारी नही है ।

विशेष आपत्ति :– ग्राम दुर्जनियां की कृर्षि भूमि खसरा नं.25,26,27,28,31, कुल किता 5 रकबा. 3.51 एकड स्व कालियां पिता भाउ के नाम दर्ज है । तथा प्रतिवादीगण उसके वारिशान है तथा मोके पर कब्जा है , ऐसी सुरत में वादी का वाद खारीज करने की कृपा करेगें ।

अतः वादी का वाद पत्र असत्य होकर आधारहीन है , अतः उसे निरस्त करने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे ।

वादपत्र एवं जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये :–

➢ यह कि वाद पत्र की चरण सं. 1 में दिनांक 10.6.1996 को किमत रूपया 12225/रू में वादी ने कय किया हो किन्तु रजिस्टी नही हो पायी , वादी ने कृर्षि भूमि को विकसित किया तथा राजस्व वाद प्रकरण सं. 28/2000 ने निर्णय दिनांक 23.6.2019 को निर्णय प्रथम ओब्वेसन के आधार पर वादी को यह निर्देश दिया गया की या तो इकरारनामे को ड्यूटी स्टाम्प करावे या प्रतिवादी के वारिसान से अपने हक मे रजिस्ट्री करावें ।

.....बजिम्में वादी

➢ यह कि वाद चरण सं. 2,3,4 मे वादी ने बेचान पत्र इकरारनामें को डयूटी स्टाम्प उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक वृत बांसवाडा से करा कर रूप्या 12840/रूपया जमा कोस कराये है । वादी वर्ष 1996 से काबिज होकर काश्त करता है । राजस्व वादि 28/2000 व प्रकरण सं. 2/2017 के अनुसार वादी को खातेदार घोषित किये जाने का जायज हक व अधिकारी है ।

....बजिम्में वादी

➢ यह कि वाद पत्र म्याद बाहर होने से निरस्त योग्य है ।

बजिम्में प्रतिवादी

वादी द्वारा निम्न दस्तावेज पेश किये गये :– नकल जमाबन्दी सवत 2070 से 73 खाता नं. 19 ग्राम दुर्जनिया , विक्रय पत्र दस्तावेज , नकल निर्णय एस.डी.ओ. दिनांक 23.6.16 नकल डिक्री 23.6.16 नकल निर्णय डी.आई.जी.स्टाम्प 2/17 इस्तगासा पर जांच रिपोर्ट एस.एच.ओ. कुशलगढ व एफआईआर की नकल । बयान कालिया, मोति , दलजी ,भलजी। वादी ने वाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं शान्तिलाल पिता चोखा जाति भील निवासी माचा ,एवं रेवला पिता बदिया जाति भील का शपथ पत्र पेश

किया प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश नही किये गये । दोनो पक्षो द्वारा लिखित बहस पेश की गई ।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया । तनकीवार विश्लेषण निम्न प्रकार है :–

तनकी सं. 1. सिद्व करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सवत 2070 से 73 खाता नं. 19 ग्राम दर्जनिया , विक्रय पत्र दस्तावेज , नकल निर्णय एस.डी.ओ. दिनांक 23.6.16 नकल डिक्री 23.6.16 नकल निर्णय डी.आई.जी.स्टाम्प 2/17 से यह सिद्व होता है कि वादी ने 1.10.96 को अपंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादी से भूमि क्रय कर उसको विकसित किया है तथा राजस्व विभाग प्रकरण सं. 228/2000 निर्णय दिनांक 23.6.2016 के प्रथम ओब्जरवेशन के आधार पर अपंजीकृत विक्रय पत्र को डयूली स्टाम्प कराने के निर्देश दिये गये थें । उक्त तनकी वादी के पक्ष में सिद्व होती है ।

तनकी सं. 2 को सिद्व करने का भार भी वादी पर है । वादी की ओर से प्रस्तुत नकल निर्णय डी. आई.जी.स्टाम्प 2/17 दिनांक 1.2.2017 से यह साबित होता है कि वादी ने बेचान पत्र इकरारनामे को डयूली स्टाम्प करा लिया है इस्तगासा पर जांच रिपोर्ट एस.एच.ओ. कुशलगढ व एफआईआर की नकल , बयान कालिया, मोति , दलजी ,भलजी, वादी ने वाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं शान्तिलाल पिता चोखा जाति भील निवासी माचा ,एवं रेवला पिता बदिया जाति भील का शपथ पत्रो से यह सिद्व होता है वादी इकरार नामे की दिनांक से वादग्रस्त भूमि का काबिज है । वादी प्रकरण सं. 28/2000 व 2/2017 के अनुसार खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है । प्रतिवादी द्वारा इस बाबत कोई साक्ष्य एवं सबूत पेश नही किये है जो वादी के कथनों को गलत साबित कर सके । उक्त तनकी भी वादी के पक्ष मे सिद्व होती है ।

तनकी सं. 3 को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर है लेकिन प्रतिवादी ने उक्त तनकी को अपने पक्ष में सिद्व करने बाबत कोई साक्ष्य /दस्तावेज/उद्वरण पेश नही किया है अतः प्रतिवादी उक्त तनकी अपने पक्ष मे सिद्व करने में विफल रहा है ।

आदेश

उपरोक्तानुसार तनकीवार विवेचन से वादी वाद अपने पक्ष में सिद्व करने में सफल रहा है ।अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है । ग्राम दुर्जनियां की कृर्षि भूमि आराजी नं. 25 रकबा 2.86 एकड, आराजी नं. 26 रकबा 0.22 एकड, आराजी नं.27 रकबा 0.12 , आराजी नं. 28 0.30 एकड, आराजी नं. 31 रकबा 0. 01 एकड कुल किता 5 रकबा 3.51 एकड का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 दो जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि यह वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअन्दाजी नही करे । उक्तानुसार डिक्री जारी हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ,जिला–बांसवाडा(राज.)